COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निलोपित

(25)

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2019 विविध विविध-0394/2019/सीधी/भू०रा०

रोशन सिंह पुत्र राजाराम सिंह निवासी ग्राम झिगुरदा तहसील व जिला सिगरौली म0प्र0

---- आवेदक

श्री S. P. Dhakad Adv. द्वारा आज दि. 11-3-19 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 2-4-19 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-3-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

---- अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायव तहसीलदार सिंगरौली जिला सिगरौली के प्र.क. 77/अ—6/1992—93 में पारित आदेश दिनांक 19.08.1993 के विरूद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि निगरानी प्रस्तुत।

11.3.19

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षेप में तथ्यः—

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, निवासी ग्राम कृषक चुरी देह तहसील व जिला सिंगरौली के सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा नायव तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115—116 के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण कमांक 77/अ—6/1992—93 पर पंजीवद्ध किया किया गया। विधिवत उद्योषणा जारी की गई आपत्तीयां आहुत की गई समयावधि मे कोई

409 07 09 11/3/19

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(31)

प्रकरण क्रमांक - विविध-394/2019/सीधी/भू.रा.

रोशनसिंह विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-06-2019	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक अधिवक्ता श्री एस.पी.धाकड़ एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश शर्मा उपस्थित । उभय पक्ष के प्रकरण में प्रारम्भिक तर्क सुने गये । आवेदक का तर्क है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-08-1993 के आदेश का पालन निम्न न्यायालय द्वारा नहीं किया जा रहा है । मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह आवेदन पत्र म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 32 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परीक्षण किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19-08-1993 को आदेश पारित किया गया है । लगभग 25 वर्ष पश्चात इस न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है । आवेदक द्वारा अपने आवेदन में धारा 32 के अंतर्गत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया है जिससे आवदेन स्पष्ट नहीं होने से त्रुटिपूर्ण है । मेरे मतानुसार उक्त आवेदन उसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जिसके आदेश का पालन होना है, जिससे प्रकरण का संक्षिप्त विधि अनुसार निराकरण हो सके । अत: धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन प्रथमदृष्टया सुनवाई योग्य नहीं होने से अग्राह्य किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	